

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 15, गुरूवार, शाके 1942–अगस्त 6, 2020 Sravana 15, Thursday, Saka 1942–August 6, 2020

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(विधि ग्रूप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 28, 2020

संख्या प.8(1)विधि-2/विरसं/64/2015 पार्ट :-राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 सपिठत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) की धारा 9 सपिठत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 10 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से जयपुर महानगर, द्वितीय न्यायक्षेत्र के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर, द्वितीय की पदेन अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय का गठन किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर, द्वितीय के निम्नलिखित पदेन सदस्य होगें:-

जिला मजिस्ट्रेट - सदस्य
 पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त (उत्तर) और (पश्चिम), - सदस्य
 न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, संख्या-01, जयपुर - सदस्य

4. न्यायाधीश, श्रम न्यायालय, संख्या ०१, जयपुर - सदस्य

5. न्यायालय औद्योगिक न्यायाधिकरण - सदस्य
 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सदस्य
 (मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर-द्वितीय)

7. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन - सदस्य

8. जिला सरकारी अधिवक्ता(लोक अभियोजन कम राजकीय अधिवक्ता) - सदस्य राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजस्थान राजपत्र तिथि भाद्र 27, मंगलवार, 1940 - सितम्बर 18, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 17.09.2018 जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर का गठन किया गया, का नाम परिवर्तन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-प्रथम की पदेन अध्यक्षता मे उक्त अधिसूचना मे निर्दिष्ट शर्तों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-प्रथम का पुनर्गठन किया जाता है।

आज्ञा से

विनोद कुमार भारवानी

प्रमुख शासन सचिव (विधि) विधि एवं विधिक कार्य विभाग

LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT (LAW GROUP - 2) NOTIFICATION

Jaipur, July 28, 2020

NO.F.8(1)Law(Gr-2)VRS/64/2015 Part .-In the exercise of the powers conferred under section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), read with Rule 10 of Rajasthan State Legal Services Authority Rules, 1995 the State Government in consultation with the Chief Justice of Rajasthan High Court, hereby constitutes the District Legal Services Authority for the District Judgeship, Jaipur Metro-II under the ex-officio Chairmanship of District & Sessions Judge, Jaipur Metro-II, Jaipur Metropolitan, Jaipur. The following shall be the ex-officio members of District Legal Services Authority, Jaipur Metro-II:-

1. District Magistrate; Member

2. Superintendent of Police/

[Deputy Commissioner of Police (North) & (West)]; Member
3. Judge, Motor Accidents Claims Tribunal, No 01 Jaipur; Member
4. Judge, Labour Court No. 01 Jaipur Member
5. Judge, Industrial Tribunal, Member

6. Chief Judicial Magistrate

(Chief Metropolitan Magistrate, Jaipur Metro-II); Member 7. President, District Bar Association; Member 8. District Government Pleader (Pubic Prosecutor cum GA); Member

Whereas the District Legal Services Authority, Jaipur Metro, constituted vide Notification dated 17.09.2018 published in the Rajasthan Gazette dated Bhadra 27, Tuesday, Saka 1940 - September 18, 2018 the State Government in consultation with the Chief Justice of Rajasthan High Court hereby rename the same as the District Legal Services Authority, Jaipur Metro-I under the ex-officio Chairmanship of District & Sessions Judge, Jaipur Metro-I, Jaipur Metropolitan, Jaipur and reconstitute under the terms as specified in the said Notification.

BY ORDER

Vinod Kumar Bharwani
Principal Secretary Law
Law and Legal Affairs Department.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।